

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत, न्याय आपके द्वार 2018/केम्प कोर्ट)

नाम पीठासीन अधिकारी - श्री गोपाललाल स्वर्णकार(आर0ए0एस0)

उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या / / 2018

दायर दि0

फैसल दि0


श्री बलभद्र सिंह वर्मा अनवान
पि. किशोर सिंह बनाम
(वादी)

भूमिधारी
तहसीलदार सागवाडा
(प्रतिवादी)

वादी श्री बलभद्र सिंह वर्मा पि. किशोर सिंह ने वाद प्रस्तुत कर
मोजा वरपा के खाता नम्बर 446 जमाबन्दी सं 02071-74
में अंकित ~~स्वयं~~ पिता का नाम किशोर सिंह
गलत दर्ज होने से संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र आज शिविर में प्रस्तुत किया है
। प्रार्थना पत्र राजस्व वाद प्रकृति का होने से राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर कर
रिपोर्ट पटवारी/भूमिधारी प्राप्त की गई रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का सही नाम
किशोर सिंह है लेकिन उक्त खाते में गलत नाम के. श. रा. सिंह
दर्ज होने से संशोधन के लिए अभिशंसा की गई है ।
प्रार्थी द्वारा ~~स्वयं~~ पिता का सही नाम किशोर सिंह
होने के सम्बन्ध में राशनकार्ड/आधार कार्ड/मतदाता
पहचान पत्र एवं पंचायत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है ।

अतः रिपोर्ट भूमिधारी एवं प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार वादी का वाद
स्वीकार किया जाता है । तहसीलदार सागवाडा/गलियाकोट को आदेश दिया
जाता है कि मोजा वरपा की जमाबन्दी संवत् 2071-74 के
खाता संख्या 446 में खातेदार/सहखातेदार का अंकित गलत नाम
के. श. रा. सिंह में संशोधन कर सही नाम
किशोर सिंह दर्ज रेकार्ड किया जावे ।

निर्णयानुसार पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार
हो नम्बर से कम हो ।


उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा